राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना

सूचना

लोकनिजी साझेदारी के तहत् CT/MRI मशीन के अधिष्ठापन एवं संचालन संबंधी निविदा को रद्द करने तथा इस कार्य हेतु चयनित एजेंसी मेसर्स सुरक्षा डायग्नोस्टिक प्रा० लि०, कलकत्ता को काली सूची में दर्ज करने संबंधी सूचना

राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला अस्पतालों में लोकनिजी साझेदारी के तहत् CT/MRI मशीन के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु चयनित एजेंसी मेसर्स सुरक्षा डायग्नोस्टिक प्रा० लि०, कलकत्ता के द्वारा 6 माह से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया। साथ ही संबंधित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक तथा संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों द्वारा इन मशीनों के अधिष्ठापन हेतु चयनित किये गये स्थल का निरीक्षण कार्य भी पूर्ण नहीं करवाया गया। इस अकारण विलंब के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा कार्यालय पत्रांक 7128 दिनांक 11.09.2014 एवं पत्रांक 7764 दिनांक 21.10.2014 द्वारा जारी किये गये कारणपृच्छा का जबाव संतोषप्रद नहीं पाया गया। बार–बार स्मारित करने के बावजूद एजेंसी द्वारा कार्य सम्पादित करने के लिए MoU हस्ताक्षरित नहीं किया गया। इसके साथ ही एजेंसी द्वारा आवंटित कार्य से withdraw करने हेतु सूचित किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त एजेंसी इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है तथा इसके द्वारा इस कार्य में रूचि भी नहीं लिया जा रहा है।

अतः कार्यहित एवं जनहित में इस निविदा को रद्द करते हुए इस कार्य हेतु चयनित एजेंसी मेसर्स सुरक्षा डायग्नोस्टिक प्रा० लि०, कलकत्ता के द्वारा समर्पित EMD को जब्त करते हुए इसे स्वास्थ्य विभाग एवं इसके अधीन कार्य कर रही स्वास्थ्य संस्थानों यथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लि० में कार्य करने के लिए काली सूचीबद्ध (Blacklist) किया जाता है।

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार